



2026:AHC:41424-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3569/2026

दीपक कुमार उर्फ शुभमयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आनंद मोहन पांडे, आशुतोष कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अनिल कुमार यादव, जी.ए., सरोज कुमार दुबे, सुमित यादव

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार दुबे को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका में दिनांक 26.1.2026 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है, जिससे थाना-थरवई, जिला-प्रयागराज में बी.एन.एस. की धारा 191, 109(1), 115(2), 352, 351(3) के तहत केस क्राइम नंबर 0016 वर्ष 2026 उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण का आवेदन दायर किया है, जिस पर पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ता इस मामले में वांछित है।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध किसी भी अपराध का खुलासा नहीं होता है, और इस प्रकार, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द होने योग्य है।
7. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि गहन जांच के बाद अब याचिकाकर्ता को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
8. यह आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गैर-कानूनी सभा बनाई थी और पीड़ित बृजलाल पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप बृजलाल के सिर में चोट आई है और उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने पीड़ित के सिर पर फ्रैक्चर की चोट दर्ज की है।
9. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी' (2017) 2 SCC 779 और 'नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य' (2021) SCC Online SC 315 में प्रतिपादित कानून के आलोक में, तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक हालिया निर्णय 'आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य' के मददेनजर रद्द नहीं किया जा सकता है।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को अब इस मामले में आरोपी के रूप में नामित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया है, और आगे यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने 4-5 अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर एक गैर-कानूनी सभा बनाई थी और पीड़ित बृजलाल पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप बृजलाल के सिर में चोट आई और उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने नोट किया है कि पीड़ित बृजलाल के सिर में फ्रैक्चर की चोट आई है, और इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों, चोटों और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दी गई दलीलों तथा विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है, हमारी राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।

11. अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
12. हालांकि, यदि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के समक्ष अग्रिम/नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर कानून के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाए और उसका निस्तारण किया जाए।
13. इन टिप्पणियों के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 24, 2026

के.यू.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।